

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 6/ज०स०वि०-विविध/105-16/2011-5090 राँची, दिनांक 28/11/18

प्रेषक,

ई० राजेन्द्र प्रसाद,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू राँची।

द्वारा :-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :-

जल संसाधन विभाग में संवेदको का निबंधन एवं निबंधन नवीकरण हेतु On-line application software (New Version) तैयार करने तथा इसके Web Security Audit का कराये गये कार्य के लिए रुपये 7.78 लाख (सात लाख अठहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

जल संसाधन विभाग में संवेदको का निबंधन एवं निबंधन नवीकरण हेतु On-line application software (New Version) तैयार करने तथा इसके Web Security Audit का कराये गये कार्य के लिए रुपये 7.78 लाख (सात लाख अठहत्तर हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसके लिए विभाग में निम्न कार्य प्रस्तावित हैं :-

झारखण्ड राज्य में "सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011" के अंतर्गत मुख्य सचिव, झारखण्ड के गै०स०प्रे०स०-2360 दिनांक-20.09.2017 के निदेशानुसार संवेदको का निबंधन नवीकरण ऑनलाईन करने हेतु पूर्व के application software में अपेक्षित संशोधन करते हुये प्रस्तावित संशोधित निबंधन नियमावली के आलोक में पूर्व में तैयार किये गये application software के स्थान पर नया version उसी URL पर Host करने एवं उसका web security audit कराने के लिए नियमानुसार निविदा का समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराकर न्यूनतम दर वता M/S Volt Technologies, Saraswati Tower, Shradhanand Road, Ranchi को कार्य आवंटित किया गया। संपादित कार्य के विरुद्ध M/S Volt Technologies, Saraswati Tower, Shradhanand Road, Ranchi को रू० 778038.00 का भुगतान किया जाना है।

3. प्रस्तावित कार्य निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-

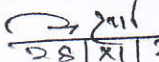
मॉग संख्या-49- जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-80 लघु शीर्ष-796 उप शीर्ष-70-ई-गवर्नेंस विस्तृत शीर्ष-07 अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय (49S470180796700759)।

4. कंडिका 2 में उल्लेखित कार्य हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक, गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची, होंगे तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पर्यवेक्षीय पदाधिकारी आवंटित राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करेंगे।

6. प्रस्तावित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु सक्षम स्तर से विभागीय एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
8. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2018-19 के बजट में कुल रुपये 70,00,000.00 (सत्तर लाख) का बजट उपबंध है।
9. प्रस्तावित कार्य पर व्यय किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
10. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।
11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
12. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो-हिनू राँची को संसूचित किया जाए।

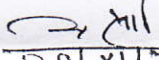
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से


28/11/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंता)

पत्रांक :- 6/ज०स०वि०-विविध/105-16/2011- 5090 राँची, दिनांक 28/11/18

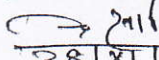
प्रतिलिपि :- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना सह वित्त विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/11/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंता)

पत्रांक :- 6/ज०स०वि०-विविध/105-16/2011- 5090 राँची, दिनांक 28/11/18

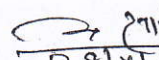
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/11/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंता)

पत्रांक :- 6/ज०स०वि०-विविध/105-16/2011- 5090 राँची, दिनांक 28/11/18

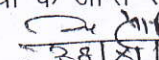
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोटरिंग अंचल-2 जल संसाधन विभाग, राँची/ उप निदेशक, गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (अभियंत्रण)/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-7, राँची/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-3(online किये जाने हेतु), राँची/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित


28/11/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंता)

पत्रांक :- पत्रांक :- 6/ज०स०वि०-विविध/105-16/2011- 5090 राँची, दिनांक 28/11/18

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


28/11/2018
(राजेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव (अभियंता)